अध्याय पंचम

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

अध्याय-पंचम

सारांश निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 सारांश

भारत में शिक्षक का स्थान तो बहुत उच्च रहा है। परन्तु शिक्षा के गतिपूर्ण प्रसार तथा अन्य अनेक स्थितियों के कारण शिक्षकों की स्थिति सामान्यतः गिरी ही है। शिक्षको की सेवा-शर्तो में पर्याप्त सुधार न होना, शिक्षको की कार्य-स्थितियॉं संतोषप्रद न होना, शिक्षकों का अलगाव में कार्य करना, शिक्षा का अभूतपूर्ण प्रसार, शिक्षक – प्रशिक्षण का स्तर गिरना, शिक्षको को ठीक ढंग से कार्यरत् न होना, समाज के मूल्यो में परिवर्तन आदि अनेक कारण है जिनसे शिक्षको की स्थिति में ह्ास आया है। शिक्षको की स्थिति का शिक्षा की गुणवत्ता से सीधा संबंध है। शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी अनेक दोषो के सुधार के लिये शिक्षकों की स्थिति को सुधारना उचित होगा। शिक्षको को प्रशिक्षण देकर उनमें गुणात्मक सुधार किया जा सकता हैं। प्रस्तुत शोध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षको के प्रशिक्षण की स्थिति को स्पष्ट किया गया हैं।

5.2 अध्ययन की आवश्यकता

प्राचीनकाल की अपेक्षा आज शिक्षा एवं शिक्षक की व्यापकता दूरदर्शन, रेडियो, अखबार तथा पोस्टर जैसे व्यापक, सामुदायिक संपर्क साधनों के चलते और व्यापक शिक्षण प्रचार-प्रसार के कारण भी अधिक प्रभावशाली विकास माध्यम बने हैं। यही कारण है कि 21वीं सदी में हमारे देश के लिये शिक्षण राष्ट्रोन्नति तथा विकास का महत्वपूर्ण साधन ही नहीं, परन्तु आमूलचूल परिवर्तन तथा विकास के सुनिश्चित परिणाम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का माध्यम भी है।

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकचर्या तथा शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण की चेतना है। इनको समाज के हर तबके तक प्रवाहित करने की एक मात्र क्षमता प्रशिक्षित शिक्षक में है। प्रशिक्षण की प्रबलता का अभ्यास हमें यहीं होता है । किसी भी स्तर पर, किसी भी शिक्षक के लिये प्रशिक्षण आज अनिवार्य पहल है। अतएव प्रत्येक के प्रत्यक्ष कार्य व्यापार में निर्विध्न प्रवेश के लिये प्रशिक्षण अत्यावश्यक हैं।

5.3 समस्या कथन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन

5.4 अध्ययन के उद्देश्य

1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन।
2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवापूर्व प्रशिक्षार्थियों के लिये कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे है, इसका अध्ययन करना।
3. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवाकालीन शिक्षको के लिये कौन-कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते है, का अध्ययन करना।
4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की निर्देशिका के आधार पर जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना।
5. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की निर्देशिका 1989 एवं राष्ट्रीय शिक्षक-प्रशिक्षण परिषद 2005 के कार्यक्रमों के अनुसार क्या सम्मिलित रूप से इनके कार्यक्रमों का संचालन डाइट के संस्थानों में हो रहा है या नहीं इसका अध्ययन करना।

5.5 शोध की परिसीमाएँ

इस शोध में निम्न परिसीमाओं के आधार पर शोध कार्य को सम्पन्न किया गया है।

1 शोध कार्य में भोपाल, सीहोर, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी (केवलारी) स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल किया है।

2 इस शोध कार्य में भोपाल, सीहोर, जबलपुर, बालाघाट सिवनी (केवलारी) स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सेवापूर्ण व सेवाकालीन कार्यक्रमों को शामिल किया है।

3 इस शोध कार्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निर्देशिका (डाइट गाइड लाइन)1989 व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई) 2005 के कार्यक्रमों को भी शामिल किया जायेगा।

4 शोधकर्ता ने प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थियों को अपने शोध मे शामिल किया है।

5.6 अध्ययन की विधि एवं उपकरण

किसी भी अनुसंधान के लिये एक शोध विधि होती है। जिनका उपयोग करके हम शोध प्रश्नो के उत्तर प्राप्त करते हैं। जिसका अंतिम अनुसंधानकर्ता को शोध प्रश्न (समस्या) का ऐसा उत्तर (हल) प्रदान करना है, जो यथा संभववैध, वस्तुनिष्ठ, परिशुद्ध और किफायती हो।, प्रस्तुत शोध मे सोद्देश्य प्रतिचयन द्वारा पाँच प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया , तथा जिसमें प्रशिक्षण संस्थान के 05 प्राचार्य, 20 प्रशिक्षको तथा 50 प्रशिक्षणार्थियो को सम्मिलित किया गया है। इसमें प्रश्नावली उपकरण का उपयोग किया गया । और प्राप्त प्रदत्तो का तालिका द्वारा विश्लेषण किया गया हैं।

5.7 मुख्य परिणाम

1. प्रवेश प्रक्रिया सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक समान है, और यह डाइट गाइड लाइन के अनुसार् ही की जाती है।
2. सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सेवापूर्व या सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्पन्न किया जाता है तथा प्रशिक्षको को कक्षा में अध्यापन कार्य के लिये तैयार किया जाता है।
3. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभी प्रशिक्षक स्नातकोत्तर एम.एड. है कुछ एम.एस.सी. /एम.ए., व बी.टी.आई. तथा कुछ बी.एड तथा कुछ पी.एच.डी. भी है और सभी कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं।
4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी सैद्धांतिक व प्रायोगिक कार्यो को कराया जाता है तथा ये सभी गतिविधियाँ डाइट गाइड लाइन व एन. सी. टी. ई. के पाठ्यक्रम में दी गयी हैं।
5. प्राथमिक प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक वातारण के अनुकूल प्रदर्शन भाषा शिक्षण में शब्द चित्र, शब्दकार्ड, कविता कहानी द्वारा, गणित में गिनती चार्ट, अंककार्ड, गणितीय चिन्हकार्ड द्वारा पर्यावरण अध्ययन में प्रयास पर्यटन चित्र, कहानी, चार्ट प्रदर्शन, ग्लोब से दिया जाता है।
6. प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग की जाने वाली प्रशिक्षण विधियों में समूह चर्चा, प्रश्नोत्तर व व्याख्यान, प्रदर्शन एवं प्रयोग आदि विधि से प्रशिक्षण दिया जाता है।
7. विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षक-प्रशिक्षण के दौरान सहायक सामाग्री के प्रयोग के अंतर्गत दृश्य-श्रव्य सामग्री, चार्ट, मॉडल, शब्दकार्ड, बेकार की वस्तुओं से निर्माण आदि का निर्माण कराया जाता है।
8. विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षको द्वारा कक्षा व्यवस्था, विद्यालय प्रबंध, गृहकार्य देना व जाँचना, स्कूल के बालकें की प्रवेश प्रक्रिया, रिजल्ट बनाना आदि का प्रशिक्षण

दिया जाता है। डाइट गाइट लाइन व एन. सी. टी. ई. के पाठ्यक्रम में इन सभी का समावेश दिया गया है।

9. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्राथमिक शिक्षको को विद्यालयों में खेलकूद, बालसभा, समूह चर्चा, कहानी, गीत आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओ को आयोजित करने का प्रशिक्षण दिया गया।

10. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवापूर्ण व सेवाकालीन कार्यक्रम अलग-अलग कराये जाते हैं।

11. विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षको को जन-मानस को लेकर शासन द्वारा कई कार्य सौंपे जाते है जिनसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अध्यापन कार्य में रूकावट आती है।

12. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिदिन 6 सैंद्धातिक व 1 प्रायोगिक कक्षाओं की व्यवस्था है।

13. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों अभ्यास शिक्षण 40 दिन का होता है।

14. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डी.एड. प्रथम वर्ष में चालीस अभ्यास शिक्षण कराये जाते है और डी.एड. द्वितीय वर्ष में चालीस अभ्यास शिक्षण करये जाते है।

15. विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पाठ्योजना निर्माण तथा अभ्यास शिक्षण में विभिन्न कौशलो के विकास पर जोर दिया जाता है। जो प्रशिक्षणार्थियों को भविष्य में आने वाले कक्षा व्यवधानों से निपटने के लिये तैयार करता है।

16. अभ्यास शिक्षण से पहले प्रशिक्षको द्वारा पाठ्योजना की जाँच की जाती है।

17. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति शत्-प्रतिशत बताई जाती है लेकिन अवलोकन द्वारा इनकी उपस्थिति बहुत कम पाई गई।

18. प्रशिक्षणार्थियों की नियमित उपस्थिति के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात बताई गई पर छात्रों की अनुपस्थिति कुछ और ही कहानी कह रही थी।

19. प्रशिक्षको द्वारा एक कालखंड में पर्यवेक्षण कार्य पूरे 45 मिनट किया जाता है, परन्तु अवलोकन द्वारा व प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षको द्वारा पर्यवेक्षण कार्य 10 से 15 मिनट ही किया जाता है।

20. वर्ष में औसत कक्षाये कितनी लगती है, इसकी एक निश्चित जानकारी प्राप्त नही हो सकी। जबकि डाइट गाइड लाइन में 220 दिन कक्षाओ के लगने की बात कही गई है।

21. विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पाठ्य सहगामी क्रियाओ की स्थिति अलग-अलग है क्योंकि कुछ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ये करायी जाती है, और कुछ में यह नही

करायी जाती है पर डाइट गाइड लाइन व एन. सी. टी. ई. में इस बात की पुष्टि की गई है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पाठ्य सहगामी क्रियाये होनी चाहिये। कुछ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण व प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बराबर हिस्सा लेकर पाठ्य सहगामी क्रियाये करायी जाती है।

22. विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षिक सुविधायें अलग-अलग प्रदान की जा रही है। सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला, बस सेवा, चिकित्सा सेवा, आवास व्यवस्था आदि है, पर इनका प्रयोग केवल खानापूर्ति के लिये किया जाता है। जबकि डाइट गाइड लाइन एवं एन. सी. टी. ई. में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न शैक्षिक सुविधायें देने की बात कहीं गई है।
23. लाइब्रेरी में पुस्तके का प्रकाशन काफी पुराना है, व कम्प्यूटर पर आउट डेटेड कार्यक्रम लोड किये गये है, जिससे बच्चों को नई जानकारी नहीं मिल पाती है।
24. विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्टॉफ के बहुत से पद रिक्त पड़े हुये है, जिनसे स्टॉफ धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है।
25. कुछ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शोध के लिये सहयोग मिला परन्तु कुछ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सहयोग नहीं मिला।
26. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम मई-जून माह में 20 दिनो के लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किये जाते है। डाइट गाइड लाइन के अनुसार भी 20 दिनो का कार्यक्रम बताया गया है।
27. सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिये शिक्षको के चयन की सूची जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को भेजी जाती है और शिक्षको का चयन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा किया जाता है।
28. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रतिवर्ष सम्पन्न कराया जाता है।
29. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला विकास खंड, जन शिक्षा केन्द्र तथा संकूल स्तर पर आयोजित किये जाते है।
30. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सेवाकालीन प्रशिक्षण विद्यालयीन विषयो पर तथा आवश्यकता पर आधारित रहता है।
31. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी तथा मदरसा प्रशिक्षण के लिये उर्दु भाषा है।
32. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ तथा अंत में मूल्यांकन की प्रक्रिया मे प्री-टेस्ट व पोस्ट टेस्ट होता है।

5.8 सुझाव

1. सरकार द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण में आवश्यक पदों की स्थापना की जाये, ताकि अध्यापन कार्य सही तरीके से हो सके।
2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण में संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का समय-समय पर निरीक्षण आवश्यक है।
3. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण में मिलने वाली शैक्षिक सुविधाओं का समय-समय पर मुआयना होना चाहिये, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को सही लाभ मिल सके।
4. विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षणसंस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों को जो छात्रवृत्तीयाँ प्रदान की जाती है, उनकी सही जाँच होने के पश्चात् ही दी जाये, ताकि उस छात्रवृत्ति का दुरूपयोग न हो।
5. प्रशिक्षण के दौरान नई तकनीकि को अपनाया जाये, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सके।
6. सरकारी संस्था होने के कारण सभी कार्य आराम से किये जाते है, जबकि सरकारी संस्थान के लिये सभी कार्यकर्ता को संस्थान के हित में कार्य करना चाहिये।
7. समय-समय पर किसी विषय विशेषज्ञो के सेमीनार आयोजित कराने चाहिये, ताकि उनके अनुभवों का सार विद्यार्थियों को मिल सके।
8. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण के सभी प्राचार्य व प्रशिक्षकों का समय-समय पर ओरिएनटेशन होना चाहिये।
9. विकलांग प्रशिक्षणार्थियों को विशेष सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।